



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21072020-220620
CG-DL-E-21072020-220620

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2111]
No. 2111]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 21, 2020/ आषाढ़ 30, 1942
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 21, 2020/ASHADHA 30, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2020

का.आ. 2396(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि राजस्थान राज्य के जोधपुर जिले में NH 754K के कि.मी. 349.743 से कि.मी.381.743 (बालेसर) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उप खण्ड अधिकारी बालेसर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्,

यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

राजस्थान राज्य के जोधपुर जिले में NH 754K के कि.मी. 349.743 से कि.मी.381.743 (बालेसर) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: राजस्थान		जिले का नाम: जोधपुर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: बालेसर					
गांव का नाम: भानगढ					
1	3089	निजी	गे.मु. ढाणी	0.0486000(हेक्टेयर)	0.0486000
गांव का नाम: हनुमानपुरा					
1	1032/1	निजी	बारानी -III	0.0490000(हेक्टेयर)	0.0490000
गांव का नाम: झकरसर					
1	708	निजी	बारानी -IV	0.2633000(हेक्टेयर)	0.2633000
2	712	सरकारी	गै.मु. नाडा	0.7627000(हेक्टेयर)	0.7627000
3	826	सरकारी	गै.मु. गोचर	0.0342000(हेक्टेयर)	0.0342000
4	827	निजी	बारानी -IV	0.0266000(हेक्टेयर)	0.0266000
5	864	निजी	बारानी -IV	0.5403000(हेक्टेयर)	0.5403000
6	865	निजी	बारानी -IV	0.0499000(हेक्टेयर)	0.0499000
7	873	निजी	बारानी -IV	0.5661000(हेक्टेयर)	0.5661000
8	877	निजी	बारानी -IV	0.0266000(हेक्टेयर)	0.0266000
9	878	निजी	बारानी -IV	0.1301000(हेक्टेयर)	0.1301000

10	879	निजी	बारानी -IV	0.0784000(हेक्टेयर)	0.0784000
11	888	निजी	बारानी -IV	0.0368000(हेक्टेयर)	0.0368000
12	889	निजी	बारानी -IV	0.0137000(हेक्टेयर)	0.0137000
13	895, 895/1	निजी	बारानी -IV	0.0230000(हेक्टेयर)	0.0230000
कुल				2.6493	2.6493

[फा. सं. NHAI/PIU-JDH/BM/AJEC-RAJ/2018/LA/340]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th July, 2020

S.O. 2396(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH 754K in the stretch of land from Km 349.743 to Km381.743 (Balesar) in the district of JODHPUR in the state of RAJASTHAN, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub-Divisional Officer Balesar in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH 754K in the stretch of land from NH 754K (Balesar) in the district of JODHPUR in the state of RAJASTHAN.

State: RAJASTHAN			District: JODHPUR		
Sl.No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Balesar					
Village: Bhangarh					
1	3089	Private	Ge.Mu. Dhani	0.0486000(Hectare)	0.0486000
Village: Hanumanpura					
1	1032/1	Private	Barani-III	0.0490000(Hectare)	0.0490000

Village: Jakharsar					
1	708	Private	Barani-IV	0.2633000(Hectare)	0.2633000
2	712	Government	Ge. Mu. Nada	0.7627000(Hectare)	0.7627000
3	826	Government	Ge.Mu. Gochar	0.0342000(Hectare)	0.0342000
4	827	Private	Barani-IV	0.0266000(Hectare)	0.0266000
5	864	Private	Barani-IV	0.5403000(Hectare)	0.5403000
6	865	Private	Barani-IV	0.0499000(Hectare)	0.0499000
7	873	Private	Barani-IV	0.5661000(Hectare)	0.5661000
8	877	Private	Barani-IV	0.0266000(Hectare)	0.0266000
9	878	Private	Barani-IV	0.1301000(Hectare)	0.1301000
10	879	Private	Barani-IV	0.0784000(Hectare)	0.0784000
11	888	Private	Barani-IV	0.0368000(Hectare)	0.0368000
12	889	Private	Barani-IV	0.0137000(Hectare)	0.0137000
13	895, 895/1	Private	Barani-IV	0.0230000(Hectare)	0.0230000
Total				2.6493	2.6493

[F. No. NHAI/PIU-JDH/BM/AJEC-RAJ/2018/LA/340]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.